राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि. / जनप्र / जी–01 / 2016 / 346 दिनांक : 27/5/16

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय / निजी स्कूल ऑफ नर्सिंग
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान

विषय :– जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवायफरी (जीएनएम) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2013–14 में सेवारत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रशिक्षण अवधि बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली ने अपने गत वर्ष दिनांक 12.06.2015 द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम हेतु दिशा–निर्देश में परिवर्तन किया है, जो कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2015–16 से ही प्रभावी होंगे।

अतः जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2013–14 की सेवारत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता / महिला स्वास्थ्य दर्शिका (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) पर तत्समय के पाठ्यक्रम ही प्रभावी होंगे। अर्थात् जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में सेवारत विभागीय कार्मिक (एएनएम / एलएचवी) को जीएनएम प्रशिक्षण में छः माह की मिडवायफरी प्रशिक्षण में छूट देय होगी। उक्त आदेश राज्य सरकार के आई.डी. क्रमांक 430 दिनांक 21.04.2016 के संदर्भ में जारी किये जा रहे है।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांकः प्रशि. / जनप्र / जी–01 / 2016 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक : 430 दिनांक 21.04.2016 के क्रम में।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी–39, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. रक्षित / आदेश पत्रावली।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर